



**कार्यालय**  
**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**  
**लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून**



**Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand**

Phone&Fax:-0135-253154/2531072

E-Mail:-eicpwduk@nic.in

E-Mail:-hodroadsafety@gmail.com

Website:-http://govt.ua.nic.in/pwd

दिनांक: 23/10/2020

पत्रांक:- 1081 / 76याता0(क)-उ0/2020

सेवा में

परिवहन आयुक्त (रोड सेफ्टी)

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति का पत्र संख्या-29/सीओओआरएस/2014/(वॉल.4) दिनांक 19.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14.07.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्ययोजना पर की गई समीक्षा सम्बन्धित कार्यवृत्त।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-1446/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (3) दिनांक 24.06.2020.

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है :-

ISSUES	OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE	Action Taken
Establish administrative mechanism at District level; specify duties, responsibilities, functions & powers	The Committee is disappointed to note that the State has not complied with the Committee's directions to set up effective operational administrative mechanism in six districts for reduction of road accidents and fatalities. The Committee notes that five districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital and Tehri had accounted for 73.82% of total fatalities in 2018 which increased to 85.33 % in 2019. The Committee observes that these five/six districts are critically important and central to the State Government's efforts to reduce road accidents and fatalities and desires that the direction to set up effective operational administrative mechanism should be complied with by 30 <sup>th</sup> September, 2020 in these districts.	मार्गों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति गठित की गई है, जिसके निर्देशों के अनुपालन में Working Group Engineering Wing द्वारा प्रभावी ढंग से दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं टिहरी के मार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु Police एवं Transport Wing से समन्वय स्थापित करते हुए अवश्यक सड़क सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है।
Review of performance in 2019	The Committee notes the reduction in fatalities by 17.3% in 2019 over 2018. The committee however desires that the Lead Agency should examine the following issues and submit a report to the Committee. i) Whether conscious efforts by the district authorities resulted in reduction in fatalities in Uttarkashi, Pauri and Almora districts by 53(74%), 51(61%) and 21(81%) respectively in 2019 and, if so, whether they are worth replication in other districts; ii) An assessment of the reasons for failure of the district authorities in reducing fatalities in Dehradun and Rudrapur district. iii) The Report/Assessment should have approval of the Chief Secretary.	-तदैव-



Annual targets for reduction of road accident fatalities	The Committee notes that the Committee had directed that instead of a uniform 10% fatality reduction target for all districts, the State should set targets, separately for city and the rural areas, of each district on the basis of (i) absolute number of fatalities; and (ii) percent growth over previous year in city/rural areas of the district. The committee desires that the district wise targets for 2020 and 2021 should accordingly be set.	राज्य स्तर पर मार्गों पर रोड सेफ्टी मैजर्स स्थापित करते हुए मार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सतत कार्यवाही गतिमान है।
Formulation of Strategy for reduction of road accidents & fatalities	a) The Committee notes that the strategy of the State Government includes enforcement drives, procurement of road safety equipment, closure of hill roads to traffic after 8.00 PM, installation of sign boards and concave mirrors, identification & rectification of Black Spots and Vulnerable Road Segments, installation of crash barriers, regular maintenance of bridges, installation of street lights, use of simulators for testing driving skills of driving license applicants, fitment of speed governors on commercial vehicles and GPS on public service vehicles etc.	<p>a) मार्गों के दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा आवश्यक रोड सेफ्टी मैजर्स जैसे-साईन बोर्ड्स, फ्लैश बैरियर्स, रोड मार्किंग आदि स्थापित किये जा रहे हैं।</p> <p>चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा जनपद स्तर पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा चिन्हित किये गये दुर्घटना सम्भावित स्थलों एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर स्थलों का सुधार कार्य किया जा रहा है।</p> <p>वर्षा ऋतु से पूर्व तथा पश्चात् मार्ग निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष में दो बार नियमित निरीक्षण किया जाता है, तथा निरीक्षण के दौरान सेतुओं में पायी गई आवश्यक रख-रखाव सम्बन्धित कार्यों को किया जाता है।</p> <p>शहरी क्षेत्रों के मार्गों के आबादी वाले भागों में नगर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट्स स्थापित एवं रख-रखाव किये जाते हैं, तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले भागों में ग्राम पंचायतों की सहभागिता से स्ट्रीट लाईट्स स्थापित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>जनपद स्तर पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति (पुलिस विंग, परिवहन एवं इंजीनियरिंग) गठित हैं, एवं जनपद स्तर पर समिति द्वारा चिन्हित किये गये प्रत्येक दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधार हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन पर स्ट्रैटेजी के रूप में घनाबंटन हेतु डीपीआर गठन/घनाबंटन तथा निर्माण/सुधार कार्य की रणनीति तैयार करते हुए आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।</p>

१९

१९

b) The Committee observes that the strategy should be location and district specific i.e. the strategy for Uttarkashi/Pauri/Almora may not work for Dehradun. It should identify all vulnerable locations in a district, the reasons for high accidents and fatalities at the specific locations in the districts, shortcomings in the areas of enforcement, engineering and emergency care measures (including better management of Golden Hour for critical accident victims) in the district and how the shortcomings are proposed to be removed.

b) उत्तराखण्ड राज्य में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना सम्भावित स्थलों को समय-समय पर चिन्हित किया जा रहा है, वर्तमान में लो०नि०वि०, एन०एच०, एनएचएआई, बीआरओ एवं टीएचडीसी के मार्गों पर कुल 2179 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित किये गये हैं, जिनमें 1059 स्थलों का सुधार समिति के द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप किया जा चुका है, अवशेष 1120 स्थलों के सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, जिनका विवरण निम्नवत है।

Sl No	Name Agency	No. of Spots	No. of rectified Spots	Remainiting Spots	Remarks
1	PWD	1682	728	954	23-कार्य प्रगति पर। 01-विद्युत विभाग से अपेक्षित। 575-डी०पी०आर की कार्यवाही प्रगति पर। 01-वन विभाग द्वारा कार्य किया जाना है। 38-डी०पी०आर प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को प्रेषित। 72-घनाबटित धनराशि लॉकडाउन के कारण समर्पित। 08-पीएमजीएसवाई, द्वाराहाट को हस्तान्तरित। 235-लोकेशन अनुमोदनार्थ/घनाबटन हेतु शासन को प्रेषित। 01- निविदा आमंत्रित।
2	NH	361	259	102	35-कार्य प्रगति पर। 59- डी०पी०आर की कार्यवाही प्रगति पर। 06- ऑल वेदर के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर। 01- चौड़ीकरण हेतु भारत सरकार मंत्रालय को प्रस्तावित। 01- ऑल वेदर में प्रस्तावित।
3	NHAI	74	72	2	01-कार्य प्रगति पर। 01 कन्सासेनेयर को निर्देशित।
4	BRO	59	0	59	59-कार्यवाही अपेक्षित।
5	THDC	3	0	3	03-कार्यवाही अपेक्षित।
	<b>Total</b>	<b>2179</b>	<b>1059</b>	<b>1120</b>	634-डी०पी०आर की कार्यवाही प्रगति पर। 59-कार्य प्रगति पर। 01-विद्युत विभाग से अपेक्षित। 38-डी०पी०आर प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को प्रेषित। 01-कन्सासेनेयर को निर्देशित। 62-कार्यवाही अपेक्षित। 72-घनाबटित धनराशि लॉकडाउन के कारण समर्पित। 01-वन विभाग द्वारा कार्य किया जाना है। 01-निविदा आमंत्रित। 235-लोकेशन अनुमोदनार्थ/घनाबटन हेतु शासन को प्रेषित। 01-चौड़ीकरण हेतु भारत सरकार मंत्रालय को प्रेषित। 01-ऑल वेदर में प्रस्तावित। 06-ऑल वेदर के अन्तर्गत प्रगति पर। 08-पीएमजीएसवाई, द्वाराहाट को हस्तान्तरित।



		c) The Committee reiterates that the Lead Agency should, in consultation with the concerned stakeholder Departments, formulate appropriate district specific strategies separately in respect of enforcement, engineering and emergency care measures (including better management of Golden Hour for critical accident victims) required to be taken in the year 2020 and 2021. It should be prepared by 31 <sup>st</sup> August, 2020 and implemented w.e.f., 1 <sup>st</sup> September, 2020.	अनुपालन किया जा रहा है।
3) i	Lead Agency	The Committee notes that full time officers from Transport, Education, PWD and Police Departments are working in the Lead Agency and observes that it appears that full time Head of the Lead Agency, as detailed by the Committee in its letter dated 24th November, 2016 has not been provided. The Committee desires that the present status in this regard should be intimated to the Committee.	लो0नि0वि0 से एक अधिकारी लीड एजेंसी से पूर्व से ही सम्बद्ध किया गया है।
3) vii	Training to the staff of the Lead Agency	The Committee presumes that the Committee's directions in this regard have not been complied with. The Committee observes that the training organized by PWD from 15.01.2019 to 19.01.2019 for 2 members of the Lead Agency is not full compliance with the Committee's directions and reiterates that all members of the Lead Agency should be imparted training by reputed institutes having domain expertise or by drawing road safety experts having domain expertise from reputed institutes as per the Course outlines/curriculum prescribed by the Committee.	लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं।

*स्*

*30*

r) ii	State Road Safety Council	The Committee is unhappy to note that the State Road Safety Council met only once in 2019 and reiterates that the Council should meet at least twice a year, with a gap of about 5-6 months. Between the two meetings; take stock of the road safety situation in the State and take necessary remedial measures wherever required. Action taken reports on the minutes of the meeting of the Council should be placed before the Council in its next meeting under intimation to the Committee.	लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं।
(8)	Black Spots (BSs) and Vulnerable Road Segments: Identification, Finalization of required Rectification measures, Carrying out Rectification Measures and Monitoring of rectified Spots/Road Segments.	चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधार किये जाने के पश्चात लीड एजेंसी उत्तराखण्ड द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है।	

2

30



Black Spots (BSs) and Vulnerable Road Segments (other than Black Spots)	a) The Committee notes that, up to December, 2019 the State identified 139 Black Spots and rectified 39 of them.	उत्तराखण्ड राज्य में कुल 139 ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित हैं, जिनमें 70 ब्लैक स्पॉट्स का दीर्घकालीन व शेष 69 का लघुकालीन सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।						
		Sl. No.	Name of Agency	No. of Identified Spots	No. of rectified Spots	Remaining Spots	Partially rectified spots from remaining spots	Action plan for remaining spots
		1	PWD	28	20	8	8	<b>Work in Progress 06 No.</b> 1-सत मोड़, 2-काली मन्दिर, 3-रिमला बर्डक्स प्रवीनपुर, 4-बर्मावाला चौक, 5-अर्द्धाटोपक, 6-सेट जूझ चौक। <b>DPR sent to Govt under CRF- 02 No.</b> 1- चांदनी चौक। 2-अन्ना हजारे चौक।
		2	BHEL Haridwar	01	01	0	0	
		3	NH	35	18	17	17	<b>Work Progress 08 No.</b> 1- तेलपुर चौक, 2- खनपुर चौक 3-जुयालगढ़ पुलिस, 4-तौलघाटी, 5- टांडा मन्तू, 6- पीरमाला, 7-डांगल रोड, 8-छत्र रोड तिराहा सहारापुर। <b>Alternative bypass under progress 01 No.</b> 1-स्टेडियम तिराहा से जन्तौन तिराहा। <b>DPR sent to Govt. Of India 08 No.</b> 1-मोहरवाला चौक, 2- सरखवी विहार, 3-पुरानी बोडी बाईपास, (मुख्य अतिरिक्त रास्ता), मोहनिधि, देहदून के एंजल-3164/163 रास्ता- (30)/2020 दिनांक-05.12.2019, हाल मुख्या अतिरिक्त- क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित। 4-अम्बाड़ी रोड, 5-नेहमपुर, 6- बाईट एंजल, 7- बाईवाल, 8- हलद्वार मजार के पास।
		4	NHAI	71	28	43	43	<b>Work Under Progress 39 No.</b> 1-रामपुर झुंजी, 2-सत्यनारायण मन्दिर 3- खड्गवां पुल, 4-नीलीचूर 5-हारावाला चौक के पास जयम लीड मन्दिर मोड़, 6-मियां पुल के पास, 7- चण्डी चौक, 8-दबल फाटक ओवर ब्रिज (मोहनपुर), 9-तुवाघाटी, 10-हरिलोक तिराहा/रानीपुर जाल, 11-शंकराचार्य चौक, 12-जाहनवी, 13-सिंहद्वार, 14-मलकपुर झुंजी 15-भिलिटी चौक 16-तिरछापुल 17-रसियाबदा 18-गैम्होखाला 19-वीलीनवी 20- धिड़ियापुर, 21-महाराणा प्रताप चौक कि०मी०-159 22-नुरी रडस मिल से अफजगढ़ बस अड्डा कि०मी०-140, 23-बैलजुड़ी मोड़ कि०मी०-153, 24-मिस्तरवाला कि०मी०-153, 25-शेरजली मजार कि०मी०-149, 26-परमानन्दपुर कि०मी०-169, 27-गौतमी हाईट कि०मी०-162, 28-तपकनापुल, गर्म तिराहा, 29- ठेलापुर से सरवरखेडा, 30- नगला बाईपास। 31- दिनेशपुर मोड़ से सईनीया, 32-तैलमील 33-एम०पी० चौक टांडा तिराहा से आवास विकास मोड़, 34-सूरजपुर से एस०आई०एम०टी०, 35-रेलवे स्टेशन में बी०आई०पी० गेट 36-मोटाहलू, 37-सिकारी वाला पीर से दीपशिखा तक, 38- 31वीं राहनी पीएसी के समने, 39-हलू चौक से गुमटी तिराहा। <b>DPR under Progress 4 No.</b> 1- लमड़ावाला झुंजी। 2-लौ कॉलेज के समने। 3- पीर बदा मोड़। 4-अमिताभ टेक टाईला मिल।
		5	NHIDCL	01	01	0	0	
		6	BRO	03	03	0	0	
			<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>71</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>DPR Sent to Govt. Of India- 10</b> <b>Alternative bypass under progress- 01</b> <b>Work Under Progress- 53</b> <b>DPR Under Progress- 04 No.</b>

b) The Committee also notes that the State has provided two different data regarding Vulnerable Road Segments. On the one hand, it is stated in paras (v) & (vii) that the State identified 1592 Vulnerable Road Segments and rectified 588 of them. On the other hand, it is stated

उत्तराखण्ड राज्य में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना सम्भावित स्थलों को समय-समय पर चिन्हित किया जा रहा है, वर्तमान में लो0नि0वि0, एन0एच0, एनएचएआई, बीआरओ एवं टीएचडीसी के मार्गों पर कुल 2179 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित कर लिये गये हैं, जिनमें 1059 स्थलों का सुधार समिति के द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप किया जा चुका है, अवशेष 1120 स्थलों के सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	संस्था का नाम	दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या	सुधार किये गये दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या	अवशेष दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या	अभ्युक्ति (अवशेष दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधार हेतु कार्ययोजना)
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	लो0नि0वि0	78	68	10	01 विद्युत विभाग से अपेक्षित। 01 लोकेशन अनुमोदनार्थ/धनावंटन हेतु शासन को प्रेषित। 07 आगपन गठित किया जा रहा। 01 निविदा आमंत्रित।
		एन0एच0	17	17	0	
		एनएचएआई	52	51	1	01 कार्य प्रगति पर।
	योग		147	136	11	
2	हरिद्वार	लो0नि0वि0	0	0	0	—
		एन0एच0	5	5	0	—
		एनएचएआई	9	8	1	01 कन्सासेनियर को निर्देशित।
	योग		14	13	1	
3	ऊधमसिंह नगर	लो0नि0वि0	120	39	81	09 डी0पी0आर0 की कार्यवाही प्रगति पर। 72 धनावंटन निर्गत। किन्तु लॉकडाउन के कारण समर्पित।
		एन0एच0	17	0	17	17 डी0पी0आर0 गठित किया जा रहा है।
		एनएचएआई	13	13	0	—
	योग		150	52	98	
4	अल्मोड़ा	लो0नि0वि0	518	153	365	340 डी0पी0आर0 की कार्यवाही प्रगति पर। 05 कार्य प्रगति पर। 06 लोकेशन अनुमोदनार्थ/धनावंटन हेतु शासन को प्रेषित। 08 पीएमजीएसआई द्वारा हाट को हस्तान्तरित।
		एन0एच0	0	0	0	—
		एनएचएआई	0	0	0	—
	योग		518	153	365	
5	टिहरी गढ़वाल	लो0नि0वि0	147	74	73	18 कार्य प्रगति पर। 55 डी0पी0आर0 प्रगति पर।



8

in para (xv) that the State identified 1652 Vulnerable Road Segments and rectified 553 of them. The Committee desires that correct district wise status as on 30<sup>th</sup> September, 2020 should be intimated to the Committee.

		एनएचओ	61	36	25	13 डीपीओआरओ प्रगति पर। 07 कार्य प्रगति पर। 03 जॉल वेदर के अन्तर्गत प्रगति पर। 01 चौकीकरण हेतु भारत सरकार मंत्रालय को प्रस्तावित। 01 जॉलवेदर में प्रस्तावित।
		एनएचआई	0	0	0	—
		डीपीओओ	24	0	24	24 कार्यवाही अपेक्षित।
		डीपीओडीपीओ	3	0	3	03 कार्यवाही अपेक्षित।
		योग	235	110	125	
6	पौड़ी	लोडनिडि	194	154	40	38 प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को प्रेषित। 01 कार्य वन विभाग द्वारा कराया जाना है। 01 डीपीओ प्रगति पर। पर।
		एनएचओ	75	72	3	03 कार्य प्रगति पर।
		एनएचआई	0	0	0	—
		योग	269	226	43	
7	धर्मपुर	लोडनिडि	62	14	48	45 डीपीओआरओ की कार्यवाही प्रगति पर। 03 लोकेशन अनुमोदनार्थ/घनाबंटन हेतु शासन को प्रेषित।
		एनएचओ	0	0	0	—
		एनएचआई	0	0	0	—
		योग	62	14	48	
8	बानेश्वर	लोडनिडि	118	32	86	86 डीपीओआरओ की कार्यवाही प्रगति पर।
		एनएचओ	0	0	0	—
		एनएचआई	0	0	0	—
		योग	118	32	86	
9	रुद्रप्रयाग	लोडनिडि	4	0	4	01 डीपीओआरओ की कार्यवाही प्रगति पर। 03 लोकेशन अनुमोदनार्थ/घनाबंटन हेतु शासन को प्रेषित।
		एनएचओ	87	68	19	19 कार्य प्रगति पर।
		एनएचआई	0	0	0	—
		योग	91	68	23	
10	उत्तरकाशी	लोडनिडि	16	0	16	16 लोकेशन अनुमोदनार्थ/घनाबंटन हेतु शासन को प्रेषित।



		एनएएचओ	67	59	8	06 कार्य प्रगति पर। 02 डीएचओआर की कार्यवाही प्रगति पर।
		एनएचएआई	0	0	0	—
		डीआरओ	35	0	35	35 कार्यवाही अपेक्षित।
		योग	118	59	59	
11	चम्बोली	लोकनिधि	67	61	6	06 लोकेशन अनुमोदनार्थ/धनांकन हेतु शासन को प्रेषित।
		एनएचओ	0	0	0	—
		एनएचएआई	0	0	0	—
		योग	67	61	6	
12	नैनीताल	लोकनिधि	333	133	200	200 लोकेशन अनुमोदनार्थ/धनांकन हेतु शासन को प्रेषित।
		एनएचओ	2	2	0	—
		एनएचएआई	0	0	0	—
		योग	335	135	200	
13	पिथौरागढ़	लोकनिधि	25	0	25	25 डीएचओआर प्रगति पर।
		एनएचओ	30	0	30	27 डीएचओआर प्रगति पर। 03 ऑल वेदर के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर।
		एनएचएआई	0	0	0	—
		योग	55	0	55	
		महायोग	2179	1059	1120	

82

30

c) The Committee desires that the State should provide district wise break up of number of 139 Black Spots and all Vulnerable Road Segments identified on roads separately under NHAI, PWD, (NH), PWD, NHIDCL, BRO and THDC etc. And fatalities thereon year wise during 2017, 2018 and 2019.

माधुसूदन न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में कुल चिन्हित 139 ब्लैक स्पॉट्स का जनपदवार विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या (दीर्घकालीन)	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अवशेष ब्लैक स्पॉट्स में से (लघुकालीन) सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	अवशेष ब्लैक स्पॉट्स के दीर्घकालीन सुधार हेतु प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहशदून	लो.नि.वि.	16	8	8	8	<b>Work in progress 06 No.</b> 1-साह मोड़। 2- काली मन्दिर। 3-शिमला बाईपास फ्रीमपुर। 4-धर्मवला चौक। 5-आईटी/पब्लिक। 6-मैट बूझन चौक। <b>DPR sent to CERO 02 No.</b> 1-बंदनीचौक। 2- अन्नहजारे चौक।
		एन.एस.	21	9	12	12	<b>Work in progress 04 No.</b> 1- तेलपुर चौक। 2- रतनपुर चौक। 3- खोपा रोड। 4- छवरा रोड विराहा सड़कपुर। <b>DPR sent to Govt. of India 8 No.</b> 1-मधुबनबाग चौक। 2- सरस्वती विहार 3-पुलनी चौकी बाईपास। (कुल अभियन्ता 10000, लोकनिर्देश, देहशदून के पत्रांक-3184/183 रा.मार्ग- (उ०)/2020 दिनांक-05.12.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित।) 4-अम्बारी मोड़। 5-तेहमनपुर। 6- ब्राइट एंजल। 7- बाढ़वाला। 8- हस्बर्टपुर मजार के पास।
		एन.एस.ए.आई.	13	4	9	9	<b>Work in Progress 5 No.</b> 1-सलवाबाग मन्दिर। 2- खण्डगांव पुलिया। 3-मोतीपुर। 4-हरिवला चौक के पास जखन सिद्ध मन्दिर मोड़। 5-मिठा पुल के पास। <b>DPR under Progress 4 No.</b> 1- सगड़वाला चूनी। 2-लो बोलैज के समने। 3- पीर राया मोड़। 4-अमिताभ देसा टाईल मिल।
योग			50	21	29	29	



11

2	हरिद्वार	लो.नि.वि.	1	1	0	0	
		सी.एच.ई.एल.	1	1	0	0	
		एन.एच.	1	1	0	0	
		एनएचआई	29	14	15	15	<b>Work in Progress 15 No.</b> 1- कण्ठी चौक 2- डबल फाटक जंक्शन (गोहनपुर) 3- दुआवाही 4- हरिलोक निवाहा 5- गंकरवाही चौक 6- जहानवी 7- किहवार 8- मलकपुर बूंगी 9- गिलिट्टी चौक 10 - पुहाना 11- रिरछमुल 12- रिरछमुल 13- गीष्ठीबाहा 14- गीष्ठीनदी 15- विदिवापुर
योग		32	17	15	15		
3	ऊचम सिंह नगर	लो.नि.वि.	4	4	0	0	
		एन.एच.	2	1	1	1	Alternative bypass under progress 01 No. 1-लोहियन निवाहा से चण्डीन निवाहा।
		एनएचआई	24	10	14	14	<b>Work in Progress 14 No.</b> 1-नहराणा प्रताप चौक कि०मी०-159। 2-नूरी लहरा मित से बकलगाव बर अदला कि०मी०-140। 3-बेलकुडी मोर कि०मी०-152। 4-गिरसरावाला कि०मी०-153। 5-गेरजली मजार कि०मी०-148। 6-रसगलन्दपुर कि०मी०-159। 7-गौली हाईट कि०मी०-132। 8-लपकबपुल गरी निवाहा। 9-लालपुर से सलबरवेला 10-गकला बाईपास 11-विनेकपुर मोड से सर्वनीया। 12-कैलनील। 13-एमपीओ चौक दंडा निवाहा से अमला निवाहा मोड। 14-कुरवपुर से एसआईएमटी।
योग		30	15	15	15		
4	चमोली	लो.नि.वि.	2	2	0	0	-
		एन.एच.	0	0	0	0	-
		एनएचआई	0	0	0	0	-

योग			2	2	0	0	
5	टिहरी गढ़वाल	लो.नि.वि.	0	0	0	0	-
		एन.एच.	5	3	2	2	Work Under Progress in Chardham/ all Weather project Completed by 12/2020. 02 No. 1-कुशमन पुलिया 2-पौतापाटी।
		एन.एच.एआई	0	0	0	0	-
		बी.आर.ओ.	1	1	0	0	
योग			6	4	2	2	
6	पौड़ी	लो.नि.वि.	1	1	0	0	
		एन.एच.	1	1	0	0	
		एन.एच.एआई	0	0	0	0	-
योग			2	2	0	0	
7	अल्मोड़ा	लो.नि.वि.	1	1	0	0	
		एन.एच.	1	0	1	1	
		एन.एच.एआई	0	0	0	0	-
योग			2	1	1	1	
8	नैनीताल	लो.नि.वि.	1	1	0	0	
		एन.एच.	2	0	2	2	Completed by 3/2021. 1- टंडा बल्लू 2- पीरपदारा।
		एन.एच.एआई	4	0	4	4	Work in Progress 04 No. 1- वी.आई.पी. गेट से रामशान घाट 2-रेतवे स्टेशन में वी.आई.पी. गेट 3-मोटाहल 4-हनुमन् चोक से गुमटी तिराहा।
योग			7	1	6	6	



9	पिधौरागढ़	लोडनि.वि.	2	2	0	0	-
		एनएचएच	0	0	0	0	
		एनएचएआई	0	0	0	0	-
		योग	2	2	0	0	
10	उत्तरकाशी	लोडनि.वि.	0	0	0	0	-
		एनएचएच	1	1	0	0	
		एनएचएचएआई डीसीएल/बीआरओ	1	1	0	0	
		बीआरओ	2	2	0	0	
	योग		4	4	0	0	
11	चम्पावत	लोडनि.वि.	0	0	0	0	-
		एनएचएच	1	1	0	0	
		एनएचएआई	1	1	0	0	-
		एनएचएआई डीसीएल/ बीआरओ	0	0	0	0	
	योग		2	2	0	0	
12	रूढ़ प्रयाग		0	0	0	0	
13	बागेश्वर		0	0	0	0	
	कुल योग		139	71	68	68	

मा0सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपेक्षित दुर्घटना सम्भावित स्थलों की जनपदवार विवरण उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0-8 (b) पर प्रेषित की गई है।

मा0सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति समिति द्वारा अपेक्षा की गई है, कि 139 चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में फेटेलिटिज की संख्या प्रेषित की जाए, जिसके अनुपालन में पुलिस महानिदेशालय, उत्तराखण्ड से आंकड़े प्राप्त किया जा सकता है।

<p>Audit of identified Black Spots &amp; Vulnerable Road Segments</p>	<p>The Committee notes that the Committee had directed the State to take rectification measures recommended in the Road Safety Audit of the identified Vulnerable Road Segments and desires that the State should take following action:</p> <p>i) Intimate whether measures on rectified Black Spots and Vulnerable Road Segments (i.e. 39 Black Spots and 588 or 553 Vulnerable Road Segments, as the case may be) were taken as per recommendations of Road Safety Audit or only Engineers Audit of the Black Spots/Road Segments.</p> <p>ii) Intimate whether road safety audit of the remaining 100 Black Spots and Vulnerable Road Segments (1004 or 1099 Segments, as the case may be) has been conducted to find out the required rectification measures.</p>	<p>ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुधार कार्य जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति (Engineering Wing) द्वारा दिये गये सुझावों (Engineering Audit) के अनुरूप किये गये हैं।</p> <p>i) पुलिस महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013, 2014, 2015/2014, 2015, 2016/2016, 2017, 2018 में घटित दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर कुल 139 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किये गये हैं, जिन पर सुधार कार्य की कार्यवाही इंजीनियर्स ऑडिट के अनुसार की गई है। लो0नि0वि0 के मार्गों पर स्थित चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर लोक निर्माण विभाग में रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अभियन्ताओं (विभागीय रोड सेफ्टी ऑडिटर्स) द्वारा वर्तमान में रोड सेफ्टी ऑडिट कार्य कराये जा रहे हैं।</p> <p>एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल व बीआरओ के अधीन मार्गों पर स्थित चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार हेतु विभाग में कन्सासनेयर्स अनुबन्धित हैं। अनुबन्ध के अन्तर्गत रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य निहित है।</p> <p>दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर फेटेलिटिज की संख्या शून्य हैं। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति (इंजीनियरिंग विंग, पुलिस एवं परिवहन विंग) द्वारा मार्गों पर स्थित दुर्घटना सम्भावित स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है एवं स्थलों के सुधार हेतु जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति के सुझाव भी दिये गये हैं, जिसके सापेक्ष निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है।</p> <p>लो0नि0वि0 के मार्गों पर स्थित दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर लोक निर्माण विभाग में रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अभियन्ताओं (विभागीय रोड सेफ्टी ऑडिटर्स) द्वारा वर्तमान में रोड सेफ्टी ऑडिट कार्य कराये जा रहे हैं।</p> <p>एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल व बीआरओ के अधीन मार्गों पर स्थित दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधार हेतु विभाग में कन्सासनेयर्स अनुबन्धित हैं। अनुबन्ध के अन्तर्गत रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य निहित है।</p> <p>ii) उत्तराखण्ड राज्य में कुल 139 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं, जिनमें 70 ब्लैक स्पॉट्स का दीर्घकालीन व शेष 69 का लघुकालीन सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। रोड सेफ्टी ऑडिट से सम्बन्धित आख्या उपरोक्त बिन्दु संख्या-8 (B)XV-I के अनुसार है।</p> <p>उत्तराखण्ड राज्य में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना सम्भावित स्थलों को समय-समय पर चिन्हित किया जा रहा है, वर्तमान में लो0नि0वि0, एन0एच0, एनएचएआई, बीआरओ एवं टीएचडीसी के मार्गों पर कुल 2179 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित कर लिये गये हैं, जिनमें 1059 स्थलों का सुधार समिति के द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप किया जा चुका है। अवशेष 1120 स्थलों के सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। रोड सेफ्टी ऑडिट से सम्बन्धित आख्या उपरोक्त बिन्दु संख्या-8 (B)XV-I के अनुसार है।</p>
---	---	--



Audit of Road s

a. The Committee notes that the PWD has 9345 Kms of road length in different categories viz. SHs, MDRs & ODRs out of which road safety audit of 2384 Kms has been completed and desires that similar information about all other road owing agencies including PWD indicating status as on 30<sup>th</sup> September, 2020 should be intimated to the Committee.

b.

c. Priority should be given to the Road Safety Audit of Black Spots and Vulnerable Road Segments.

d. The Committee desires that the Audit Recommendations should be implemented on ground so as to improve the road safety situation in the State.

a) NH,SH,MDR व ODR तथा अन्य निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा किये गये रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की अद्यतन सूचना निम्नवत् है :-

	Name of Agency	Road length in (Km)	Total road length in which R.S.A completed (Km.)				Remaining road length (In Km.)	Remarks
			2017	2018-19	2019-20	2020-21		
Action Taken (ii) Road safety audit (Road length-wise)	PWD	9345.00	974.731 (ADB Funded)	1295.05 (PWD) +972.205 (USHIP-2019)	0.00	4300.225 (PWD Auditors)	1802.789	Remaining length 1802.789 to be done by 2022
	NH	2091.34	406.20	-	0.00	1003.17 (PWD Auditors)	681.97	681.97 Km. length to be done by 2022
	NHAI	380.00	-	380.00				-
	NHI DCL	100.00	-	100.00				-
	BRO	383.00		383.00				
	<b>Total</b>	<b>12299.34</b>	<b>1380.931</b>	<b>3130.255</b>	<b>0.00</b>	<b>5303.395</b>	<b>2484.759</b>	<b>-</b>

(b) मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सभी निर्माणदायी संस्थाओं को चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थलों की रोड सेफ्टी ऑडिट दिनांक 30.08.2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-557/76 यत्ना0 दिनांक 24.07.2020 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। (संलग्नक-1)

(c) रोड सेफ्टी ऑडिटर्स द्वारा दिये गये सुझावों के सापेक्ष आगमन गठित किये जा रहे हैं, ताकि आगमन के सापेक्ष घनाबंटन प्राप्त कर मार्गों का सुधार कार्य किया जा सकें।

Review of progress in rectification of the remaining Black Spots & Vulnerable Road Segments.	The Lead Agency should regularly review/monitor the progress in rectification of the remaining 100 Black Spots and 1004 or 1099 Vulnerable Road Segments (as the case may be). The status of rectification measures taken up to 30 <sup>th</sup> September 2020 should be intimated to the Committee by <b>31<sup>th</sup> October, 2020</b> . The Committee desires that the status report should separately indicate the status of rectification measures taken on 275 remaining Vulnerable Road Segments on National and State Highways in six critically important districts.	विहित ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर किये गये सुधार कार्य एवं अवशेष हेतु कार्ययोजना की अद्यतन स्थिति का विवरण उपरोक्त दिन्दु सं०-६ (b&c) के अनुसार है।
Monitoring of Rectified Black (BSs) and Vulnerable Road Segments	The Committee desires that the Lead Agency should monitor the 39 rectified Black Spots (BSs) and 588 or 553 rectified Vulnerable Road Segments, as the case may be, up to 31 <sup>st</sup> December 2020. (presumably including 208 Vulnerable Road Segments on National and State Highways) to check the efficacy of the rectification measures taken by the concerned road owning agencies. A Monitoring Outcome Report indicating the decrease or increase, both in absolute numbers and percentage, in road accidents, grievous injuries and fatalities at these Black Spots and Vulnerable Road Segments after the date of rectification as compared to comparable period before the date of rectification should be sent to the Committee by <b>31<sup>st</sup> March 2021</b> . A separate report in respect of rectified Black Spots and Vulnerable Road Segments on National and State Highway should also be submitted.	लो०नि०वि० से अपेक्षित नहीं है।

2



<p>District Road Safety Committee (DRSCs)</p>	<p>i) The Committee notes that except Pithoragarh all District Road Safety Committees (DRSCs) met 4 times in 2019 and reiterates that the Lead Agency should ensure that each DRSC meets at least once every quarter with a gap of about 2-3 months.</p> <p>ii) The Committee notes that the District Plans prepared by DRSCs do not indicate what they propose to do in 2020-2021 and later in future. They are largely action taken reports and not plans. The Committee reiterates that each DRSC should prepare. In consultation with stakeholder Departments, District Road Safety Action Plan for the district for the year 2020-2021 and 2021-2022 <b>by 31<sup>st</sup> August, 2020.</b> It should provide for location specific measures to be taken in 2020-2021 and 2021-2022 in the areas of enforcement, engineering and emergency care (including better management of Golden Hour).</p> <p>iii) The Committee also reiterates that the DRSCs should be made responsible for reduction of road accidents &amp; fatalities in the district (apart from implementation of the District Road Safety Action Plans and implementation of the MV Act) as directed by the Committee vide its letter dated 28.10.2019.</p> <p>iv) Lead Agency should monitor and ensure compliance.</p>	<p>i) लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>ii) सभी निर्माणदायी संस्थाओं के इस कार्यालय के पत्रांक-557/76 याता (क)-उ0/2020 दिनांक 24.7.2020 द्वारा जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रेत्तर वर्षों हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक- 1)</p> <p>iii) लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>iv) लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।</p>
---	--	---

३२

३०



दु (10) i(a)	Enforce ment of traffic laws	<p>The Committee notes that the State has not yet prepared and implemented its enforcement strategy in a focused manner as directed by the Committee vide its directions dated 28.10.2019. The Committee reiterates that, in view of the fatality data of 2017 and 2018, the State should focus on over speeding, non-wearing of helmets, non-wearing of seat belts and wrong side driving by motorized two wheelers, cars &amp; taxis, buses and trucks/lorries, as the case may be, on vulnerable Segments of straight and curved roads of NHs, Shs and MDRs passing through open/rural areas with special focus on Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital, Tehri and Uttarkashi in that order. The Committee also desires that the State should now send the progress report regarding over speeding non-wearing of helmets, non-wearing of seat belts and wrong side driving in the proforma enclosed (Annexure). Progress reports on implementation of the Committee's directions dated 18.08.2015 and 17.11.2015 in respect of other violations should however continue to be sent in the proforma sent earlier to the State vide Committee's letter dated 24.10.2016.</p> <p>ii) The Committee also reiterates that separate targets for the city and the rural and open areas of each district should be set keeping in view the fatalities in those areas of the district.</p>	लोडिंग से सम्बंधित नहीं है।
दु (11)	Framing Scheme under Section 135 of M.V.Act.	<p>The Committee is unhappy to note that the State has not complied with its direction regarding framing of Scheme under Section 135 of M.V. Act and reiterates that the State should frame Scheme under Section 135 of Motor Vehicles Act, <b>by 30th September 2020</b>, to provide not only for in-depth study of causes and analysis of motor vehicle accidents but also for establishing wayside amenities on highways; establishing traffic aid posts on highways; provide truck parking complexes along highways; and for providing any other amenities in the interest of the safety and convenience of the public. If necessary, the Scheme should be framed with the assistance of reputed research institutes having domain expertise. A copy of the scheme notified by the State should be submitted to the Committee.</p>	<p>सभी निर्माणदायी संस्थाओं को, मुख्य मार्गों पर वे-साइड एम्बेडिंग, ट्रक पार्किंग, स्थापित किये जाने हेतु Reputed एवं Expertised Research Institute की सहायता से योजना तैयार करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-557/76 यातायात(क)-उ०/2020 दिनांक 24.7.2020 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।</p> <p>वर्तमान में IRC के Guideline के अनुसार ही उपरोक्त निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।</p>



12 X	Procurement of equipment as per BPR&D norms	The Committee notes that the State has procured 11 interceptor vehicle and 8 cranes and is in the process of procuring 3 cranes, 5 radar guns and 100 breath analyzers. The Committee is unhappy to note that the Lead Agency has not set timelines. In consultation with the concerned Departments, for procurement of all equipments as per BPR&D recommendations and reiterates that timeline for procurement of equipments so as to reach BPR&D norms should be set under intimation to the Committee. The Lead Agency should also monitor and ensure procurement of the equipments.	लोकनिविद से सम्बन्धित नहीं है।
13 Xviii	Training of personnel & maintenance of equipment	The Committee notes that the State has trained master trainers for use of interceptors, alcometers and speed radar guns and desires that the State should train adequate number of personnel in the use of these equipments and the cranes under intimation to the Committee.	लोकनिविद से सम्बन्धित नहीं है।
14 Xi	Strengthening of traffic police as per BPRD norms	The Committee is disappointed to note that the State has not taken any decision on the proposal for the creation of 1759 posts for strengthening traffic police as per BPR&D norms as directed by the Committee vide its letter dated 28.10.2019 and desires that the State should fix a timeline for taking a decision in the matter under intimation to the Committee.	लोकनिविद से सम्बन्धित नहीं है।
15 /ii(b)	Highway Patrol	<p>a) The Committee notes that the fatalities on Highways in the State increased from 80.99% of total fatalities in 2017 to 86.66% in 2018. It is obvious that the city Patrol units (in 4 districts) and Hill Patrol Units (in 8 districts) were not effective in reduction of road accidents and fatalities on Highways. The Committee desires that the State should immediately establish Highway Patrol in compliance of the Orders of the Hon'ble Supreme Court dated 30.11.2017.</p> <p>b) The State should submit a report on enforcement and prevention measures taken by the city/Hill Patrol Units on Black Spots and on 483 Vulnerable Road Segments on National and State Highways in six critical districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital, Tehri and Uttarkashi.</p>	लोकनिविद से सम्बन्धित नहीं है।

<p>Street lights on NHs, SHs and MDRs</p>	<p>The Committee notes that street light have been installed on completed roads under NHAI and that street lights will be installed on the remaining roads as per DPR guidelines; that work is in progress on all PWD roads; and night time partolling is being regularly being done by Traffic Police and by special teams of the Transport and Police Departments. The Committee desires that the Lead Agency should check, verify and submit a brief report on availability of street lights on the NHs and SHs specially in respect of Vulnerable Road Segments prone to causing accidents/fatalities during night time on NHs and SHs.</p>	<p>स्वीकृत आगणन के सापेक्ष NHAI के अधीन जनपद ऊधमसिंह नगर के जिन भागों में मार्ग निर्माण पूर्ण कर लिए गये हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स स्थापित कर दिये गये हैं। अपशेष मार्गों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्ट्रीट लाइट्स स्थापित किये जायेंगे। मार्ग के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च 2021 निर्धारित है। लोअनिवि0 के अधीन मार्गों पर नगरीय क्षेत्रों के आबादी वाले भागों नगर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स स्थापित किये गये हैं, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले भागों में स्ट्रीट लाइट्स स्थापित किये जाने हेतु लीड एजेंसी द्वारा निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p>
---	---	---

82





**Traffic Calming Measures**

The Committee notes that all the junctions where lower hierarchy roads join higher hierarchy roads. Have been identified by all road owning agencies. The Committee directs that Lead Agency should take following action.

- a. The Committee notes that the PWD, PWD(NH) and NHAI have stated that the remaining 603,270 and 75 junctions will be rectified/improved by 2020 "as per availability of funds" and NHIDCL/BRO has stated that the "rectification work is part of DPR". The committee directs that the status of work as on 30th September, 2020 should be intimated to the Committee by 31th October, 2020. Also PWD, PWD(NH), NHAI and NHIDCL/BRO should indicate a categorical timeline.

मा० सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य के अधीन मार्गों के जंक्शनों पर लोवर हायरैकी वाले मार्गों पर स्पीड कामिंग मैजर्स स्थापित किये जाने हैं। उपरोक्तानुसार सभी जनपदों में लोवर हायरैकी वाले मार्गों के स्वामित्वधारक संस्थाओं को जंक्शनों को पुनः चिन्हित करने व रोड सेफ्टी ऑडिट करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में लोवर हायरैकी वाले मार्गों के स्वामित्वधारक संस्था लो०नि०वि० के अधीन एसएच,एमडीआर, ओडीआर एवं वीआर के जिन मार्गों पर ऑडिट के अनुसार पूर्ण रूप से स्पीड कामिंग मैजर्स जैसे- रम्बल स्ट्रीप्स, साईन बोर्डस आदि स्थापित किये गये हैं, तथा कुछ ऐसे जंक्शन हैं, जहाँ केवल साईन बोर्डस ही लगाये गये हैं, जिन्हें अपूर्ण माना गया है, उनका जनपदवार अद्यतन स्थिति का विवरण निम्नवत् है -

Sl.No	Name of District	Name of lower hierarchy roads	No. of identified junctions	No. of rectified junctions as per Road safety Auditors recommendations by Rumble strips & sign boards	No. of Partial rectified junctions by sign boards	Remaining junctions as per Road safety Auditors recommendations by Rumble strips & sign boards
1	Dehradun	SH, MDR, ODR & VR	545	103	00	342
2	Haridwar		74	00	00	74
3	Udhamsingh Nagar		121	27	00	94
4	Tehri		329	00	89	329
5	Pauri		74	08	26	66
6	Rudrapur		03	0	03	03
7	Chamoli		33	0	28	33
8	Uttarkashi		112	26	0	86
9	Bageshwar		48	00	00	48
10	Champawat		46	0	00	46
11	Almora		358	02	01	356
12	Pithoragarh		230	18	00	212
13	Nainital		272	23	15	249
	<b>Total</b>		<b>2245</b>	<b>207</b>	<b>162</b>	<b>1938</b>

SV

b) The Committee notes that the Lead Agency has completed monitoring of 35 rectified junctions and desires that the evaluation reports be shared with the Committee. The Committee also desires that the Lead Agency should continue to monitor the remaining 521 rectified junctions to check the efficacy of rectifications.

लोगनिष्ठिक से अपेक्षित नहीं है।

३२

५०



Crash Barriers on hilly roads, near water bodies and other Vulnerable locations.

The Committee has following observations.

i)The Committee has noted that crash barriers were/are required at 3340.47 Km in the State; that road owning agencies had installed Crash Barriers at 1311 Km. And that the road owning agencies had set a target of installing crash barriers on the remaining 2029 Km (PWD-1582.47 Km. PWD(NH)- 311.7Km,NHAI-14.95 Km and BRO- 120Km) by 2020. The Committee desires that the present status of the work done by different road owning agencies should be intimated to the Committee.

क्रैश बैरियर्स की सूचना-

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थापित कुल लं०	स्थापित किये जाने हेतु किमी. की सं.	स्थापित किलोमीटरों की सं.	अवशेष	लक्ष्य
1	लो.नि.वि.	9345.00	2040.10	1046.63	993.47	घनाबटन प्राप्त होने पर वर्ष 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित।
2	एन.एच.	2091.34	793.60	481.904	311.696	घनाबटन प्राप्त होने पर वर्ष 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित।
3	एनएचएआई	380.00	22.495	7.995	14.50	
4	एनएचआईडीसीएल / बीआरओ	483.00	120.00	0.00	120.00	
		12299.34	2976.195	1536.529	1439.666	

iii)	<p><b>ii) PWD(NH), NHAI and BRO have stated that the identification work has been done "as per DPR". It is not clear whether DPR in respect of PWD(NH), NHAI and BRO covers the remaining 311.7Km, 14.95 Km and 120 Km respectively. The Committee desires that the concerned District Road Safety Committees should be involved in monitoring the work being done by PWD(NH), NHAI and BRO to ensure that work is actually done as per local requirements.</b></p> <p><b>iii) The Committee has noted that the Engineer in Chief (PWD) has stated that "all crash barriers has being installed and maintained as per IRC norms". The Committee presumes that the crash barriers on 1311.53 Km were constructed and have been maintained as per IRC norms. The State is required to confirm the same.</b></p>	v)	<p>उत्तराखण्ड राज्य के अधीन एनएचआई, एनएच, बीआरओ एवं एनएचआईडीसीएल के स्वामित्व वाले मार्ग हायर हायवेकी श्रेणी के मुख्य मार्ग हैं, जिन पर स्पीड ब्रेकिंग मैजर्स जैसे-रम्बल स्ट्रीप्स स्थापित नहीं किये जाते हैं। इन मार्गों से निकलने वाली व जोड़ने वाली लोपर हायवेकी मार्गों जैसे- एनएच, एमडीआर, ओडीआर व वीआर हैं, जिन पर स्पीड ब्रेकिंग मैजर्स जैसे- रम्बल स्ट्रीप्स, स्पीड लिमिट व कॉन्सन्सी बोर्ड आदि स्थापित किये जाते हैं। जिनकी अद्यतन स्थिति का जनपदवार उपरोक्त बिन्दु सं०-17 XII (a) के अनुसार है।</p>
		vi)	<p>यहाँ पर पुनः स्पष्ट करना है, कि मार्गों पर IRC Norms. के अनुसार क्रैश बैरियर्स स्थापित किये गये हैं, व किये जा रहे हैं, तथा इनका रख-रखाव भी IRC Norms. के अनुसार किया जा रहा है।</p>

31



<p>सू (19) iv</p>	<p>Maintenance of bridges</p>	<p>a)The Committee notes that the State has 1331 bridges [PWD-923,PWD(NH)-227,NHAI-107, NHIDCL-30 and BRO-44] and that all bridge are safe and have been maintained as per IRC norms except the following.</p> <p>i) Few bridge under PWD require minor repair works which are in progress.</p> <p>ii) One bridge under PWD (NH) requires rectification work for which DPR is under preparation.</p> <p>iii) NHIDCL does not appear to have sent any information regarding number of bridges under it or those required to be replaced or repaired.</p> <p>b) The Committee was informed earlier that work was in progress on 41 (out of 107) bridge under NHAI and desires that the Lead Agency should confirm that the work on these 41 bridges has been completed.</p> <p>c)The Committee desires that the Lead Agency should draw timeline in consultation with PWD and PWD (NH) for repairs/rectification of the concerned bridges. Also, categorical information about the number of NHIDCL bridge, and number of bridges under it required to be replced or repaired should be sent to the Committee.</p> <p>d) The Committee reiterates that the Lead Agency should ensure that, these road owning agencies prepare and implement traffic management plan for all bridges which are under repair/rectification.</p>	<p>i) कोविड-19 की महामारी व लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बाधित थे कुछ ऐसे सेतु, जिन पर माइनर रिपेयर/रख-रखाव के कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में कार्य प्रगति में है, जिन्हें पूर्ण किये जाने का लक्ष्य मार्च 2021 निर्धारित है।</p> <p>ii) कोविड-19 की महामारी व लॉकडाउन की वजह से डीपीआर से सम्बन्धित सर्वेक्षण आदि कार्य बाधित थे, साईड सलेक्शन पर क्षेत्रीय स्थल से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो गये, जिन्हें सुलझा लिया गया हैं। स्वायल इन्वेस्टीगेशन के कार्य पूर्ण कर लिया गया है, व वर्तमान में डीपीआर कन्सल्टेन्सी हेतु प्रक्रिया गतिमान है।</p> <p>iii) सूचना अप्राप्त।</p> <p>iv) सूचना अप्राप्त।</p> <p>c) उपरोक्त बिन्दु (i,ii,iii&amp;iv) के अनुसार है। सभी निर्माणदायी संस्थाओं को टाईमलाइन के निर्धारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-557/76 याता० दिनांक 24.07.2020 द्वारा आख्या मांगी गई है।</p> <p>d) मरम्मत व सुधार योग्य सेतुओं से सम्बन्धित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-557/76 दिनांक 24.07.2020 द्वारा सभी निर्माणदायी संस्थाओं से आख्या मांगी गई है।</p>
-----------------------	-------------------------------	---	---



नु (20) vi	Over-loading of school buses	The Committee notes that the State is complying with the Committee's directions regarding school buses/vans etc; and that 3056 vehicle were challaned in 2019 for different offences related with school bus norms. The Committee desire that the State should continue to implement the provision of MV Act vigorously to school buses/vans and other vehicle engaged in transporting school children.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।
नु (21) ix	Driving of motorized vehicle by the under-age	The Committee desires that the State should implements the provisions of MV Act vigorously in cases of underage driving.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।
नु (22) x&xxi	Ambulance with equipments and trained paramedics & Mapping of Ambulances	The Committee presumes that the direction of the Committee in the regard have not been complied with and reiterates that the 135 government ambulance also should be integrated with 108 (in addition to 139 private) ambulance already integrated with 108). All ambulances, both government and private, should have a trained paramedic and necessary wquipments; that the State should map all ambulances, the Trauma Care Centers and other hospitals lacated in proximity to NHs and SHs and that Lead Agency should assess adequacy of ambulances students prsently available with the State under intimation to the Committee.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।
नु (23) xii	Trauma Care Centers	The Committee notes that the Dehradun has three Trauma Care Centers (of which two are Level III and one is without categorization); that Udham Singh Nagar, Haridwar and Uttarkashi have one Trauma Care Center each of Level III; and that Naintal and Tehri have one Trauma Care Center each without categorization. The Committee directs that the State should take following action under intimated to the Committee. d) Comfirm that these Centers have been officially designated as Trauma Care Centers for all road accident victims in the respective districts; e) Prepare a scheme for free treatment of all those road accident victims in the designated Trauma Care Center who wish to avail free treatment; f) Fix a timeframe for up-gradation of each of these Trauma Care Center to the next level intimated to the Committee.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।



नु 4) xiii	Publishing of Annual Accident Data	The State has not yet published the booklet on Road Accidents in Uttarakhand-2018. The Committee desires that the analysis report and the road accident and fatality data for 2018 should be published in a book form and a copy there of should be sent to the Committee.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।
नु 5)	Status of implementation of the motor vehicles (Amendment) Act, 2019	The Committee desires that the State should send a note on status of implementation of the Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।
नु 6)	Place direction of the Committee and action taken report before the State Road Safety Council	The Lead Agency should place all the above directions issued by the Committee before the State Road Safety Council in its next meeting together with action taken report on the Committee's directions.	लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं।

लम्ब- उपरोक्तानुसार।

(इं० हरिओम शर्मा)  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

तिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0 राजमार्ग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही हैं, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए अग्रेतर कार्ययोजना व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।
- 5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0 राजमार्ग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही हैं, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए अग्रेतर कार्ययोजना व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।
- 6- रीजनल ऑफिसर, एनएचआई/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित की गई सूचना के आधार पर आख्याएं अग्रसारित की जा रही हैं, कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या का बिन्दुवार अवलोकन करते हुए अग्रेतर कार्ययोजना व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा समिति, 10 यां रा0राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ।
- 8- आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को [pwd.uk.gov.in](http://pwd.uk.gov.in) की Road Safety Gallery में upload करने हेतु।

क. 22/10  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष





## प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072

E-Mail: eicpwduk@nic.in

E-Mail: hodroadsafety@gmail.com

Website: http://psvt.aa.nic.in/pwd

पत्रांक:- 554/76याता(क)-30/2020

दिनांक: 24/07/2020

सेवा में,

1-अधीक्षण अभियन्ता,  
लो0नि0वि0.....बी वृत्त, देहरादून/पौड़ी/पिथौरागढ़/नैनीताल/  
ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/हरिद्वार/गोपेश्वर/उत्तरकाशी/टिहरी।

2- अधीक्षण अभियन्ता,  
रा0रा0मार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून एवं हल्द्वानी।

3- अधीक्षण अभियन्ता,  
ए0डी0वी0, पिथौरागढ़, टिहरी।

4- मुख्य अभियन्ता,  
सीमा सड़क संगठन,  
प्रोजेक्ट शिवालिक,  
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

5- मुख्य अभियन्ता,  
सीमा सड़क संगठन,  
प्रोजेक्ट हीरक  
56-ए0पी0ओ0  
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

6- रोजनल ऑफिसर,  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,  
देहरादून।

7- रोजनल ऑफिसर,  
एनएचआई डीसीएल,  
81/73 बलबीर रोड डालनवाला,  
देहरादून।

विषय :- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति का पत्र संख्या-29/सी0ओ0आर0एस/2014/(वॉल4) दिनांक 19.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14.07.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्ययोजना पर की गई समीक्षा सम्बन्धित कार्यपत्र।

सन्दर्भ :- 1- मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति का पत्रांक-29/सी0ओ0आर0एस/2014/(वॉल4) दि0 19.06.2020.(संलग्न)  
2- इस कार्यालय का पत्रांक-399/76याता दिनांक 26.06.2020.(संलग्न)

दिनांक 14.07.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में उपरोक्त सम्बोधित अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 19.06.2020 की बिन्दुवार समीक्षा की गई विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में कतिपय तकनीकी त्रुटियों के फलस्वरूप जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी ऑडियो लिंक नहीं हो पाया।

अतः कुछ अधीक्षण अभियन्ताओं से मोबाईल द्वारा समीक्षा की जा सकी। माननीय समिति द्वारा निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यवाही के परीक्षण के पश्चात् दिये गये बिन्दुवार निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देश-

Sl. No.	Para No. in State Govt's letter dated 31.01.2020	ISSUES	OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE	Action to be Taken
(i)	i	Establish administrative mechanism at District level; specify duties, responsibilities, functions & powers	The Committee is disappointed to note that the State has not complied with the Committee's directions to set up effective operational administrative mechanism in six districts for reduction of road accidents and fatalities. The Committee notes that five districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital and Tehri had accounted for 73.82% of total fatalities in 2018 which increased to 85.33 % in 2019. The Committee observes that these five/six districts are critically important and central to the State Government's efforts to reduce road accidents and fatalities and desires that the direction to set up effective operational administrative mechanism should be complied with by 30 <sup>th</sup> September, 2020 in these districts.	माओ समिति द्वारा जनपद रुधमसिंहनगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं टिहरी में अवस्थित मार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर एक प्रभावी प्रशासनिक तंत्र स्थापित किये जानने की अपेक्षा की गई है, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्माणदायी संस्थाओं के विभागीय नियंत्रण हेतु प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियन्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अतः अधीक्षण अभियन्ता माओ समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभागीय प्रशासनिक तंत्र स्थापित करेंगे एवं विभागीय कार्यवाहियों की लगातार समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। (कार्यवाही तत्काल अनेक्षित)
बिन्दु (2)	(i) (ii) (iii)	Review of performance in 2019	The Committee notes the reduction in fatalities by 17.3% in 2019 over 2018. The committee however desires that the Lead Agency should examine the following issues and submit a report to the Committee. i) Whether conscious efforts by the district authorities resulted in reduction in fatalities in Uttarkashi, Pauri and Almora districts by 53(74%), 51(61%) and 21(81%) respectively in 2019 and, if so, whether they are worth replication in other districts; ii) An assessment of the reasons for failure of the district authorities in reducing fatalities in Dehradun and Rudraprayag district. iii) The Report/Assessment should have approval of the Chief Secretary.	जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 के सापेक्ष दुर्घटनाओं में क्रमशः 74 प्रतिशत, 61 प्रतिशत एवं 84 प्रतिशत की कमी आई है। माओ समिति द्वारा जनपद स्तर पर जनपद रुद्रप्रयाग एवं देहरादून में दुर्घटनाओं में कमी लाने में असफलता हासिल किये जाने के कारणों का मूल्यांकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपदीय सुरक्षा समिति (पुलिस विंग, ट्रान्सपोर्ट विंग एवं इंजीनियरिंग विंग) द्वारा किये जा रहे मूल्यांकन के समय यदि दुर्घटना Road deficiency के कारण नहीं हुई है, तो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से प्रबल पक्ष रखा जाए, ताकि अन्य कारणों का विश्लेषण किया जाय, ताकि निदान किया जा सके। (मुख्य सचिव उत्तराखण्ड की मितिग हेतु आख्या 30 जुलाई 2020 तक अनेक्षित)



विन्दु (3) (v)	v	Annual targets for reduction of road accident fatalities	The Committee notes that the Committee had directed that instead of a uniform 10% fatality reduction target for all districts, the State should set targets, separately for city and the rural areas, of each district on the basis of (i) absolute number of fatalities; and (ii) percent growth over previous year in city/rural areas of the district. The committee desires that the district wise targets for 2020 and 2021 should accordingly be set.	मा10 समिति द्वारा राज्य स्तर पर 10 प्रतिशत fatalities में कमी लाए जाने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस हेतु इंजीनियरिंग विंग की तरफ से दुर्घटनाओं के कारकों को तत्काल दूर किये जाने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाए। (कार्यवाही मार्गों के रोड सेफ्टी ऑडिट के पर्याप्त आगमन 15 सितम्बर 2020 तक अपेक्षित)
विन्दु (4) v-(a)	v	Formulation of Strategy for reduction of road accidents & fatalities	<p>a) The Committee notes that the strategy of the State Government includes enforcement drives, procurement of road safety equipment, closure of hill roads to traffic after 8.00 PM, installation of sign boards and concave mirrors, identification &amp; rectification of Black Spots and Vulnerable Road Segments, installation of crash barriers, regular maintenance of bridges, installation of street lights, use of simulators for testing driving skills of driving license applicants, fitment of speed governors on commercial, vehicles and GPS on public service vehicles etc.</p> <p>b) The Committee observes that the <b>strategy should be location and district specific</b> i.e. the strategy for Uttarkashi/Pauri/Almora may not work for Dehradun. It should identify all vulnerable locations in a district, the reasons for high accidents and fatalities at the specific locations in the districts, shortcomings in the areas of enforcement, engineering and emergency care measures (including better management of Golden Hour for critical accident victims) in the district and how the shortcomings are proposed to be removed.</p> <p>c) The Committee reiterates that the Lead Agency should, in consultation with the concerned stakeholder Departments, formulate appropriate district specific strategies separately in respect of enforcement, engineering and emergency care measures (including better management of Golden Hour for critical accident victims) required to be taken in the year 2020 and 2021. It should be prepared by 31<sup>st</sup> August, 2020 and implemented w.e.f., 1<sup>st</sup> September, 2020.</p>	<p>a) मा10 समिति द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु कुछ सुझाव दिये गये हैं, जिसमें इंजीनियरिंग विंग के लिए दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर साईन बोर्ड्स, कॉन्केव मिरर्स, क्रैश बैरियर्स स्थापित करने एवं सेतुओं का नियमित निरीक्षण एवं समुचित रख-रखाव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए। यदि बजट की आवश्यकता है, तो तत्काल आगमन प्रेषित किये जाए।</p> <p>b) जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।</p> <p>c) आगमन 15 सितम्बर 2020 तक अपेक्षित।</p>



(5)	ii	Lead Agency	The Committee notes that full time officers from Transport, Education, PWD and Police Departments are working in the Lead Agency and observes that it appears that full time Head of the Lead Agency, as detailed by the Committee in its letter dated 24th November, 2016 has not been provided. The Committee desires that the present status in this regard should be intimated to the Committee.	लोडिंग/डिग से अपेक्षित नहीं।
(6)	xvii	Training to the staff of the Lead Agency	The Committee presumes that the Committee's directions in this regard have not been complied with. The Committee observes that the training organized by PWD from 15.01.2019 to 19.01.2019 for 2 members of the Lead Agency is not full compliance with the Committee's directions and reiterates that all members of the Lead Agency should be imparted training by reputed institutes having domain expertise or by drawing road safety experts having domain expertise from reputed institutes as per the Course outlines/curriculum prescribed by the Committee.	अधीक्षण अभियन्ता अपने वृत्त के अन्तर्गत समस्त अभियन्ताओं के नाम, पदनाम, हाटसरेण मोबाईल नं० प्रेषित करते हुए प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे। प्रत्येक अभियन्ताओं के नाम के सम्मुख रोड सेफ्टी ऑडिटर प्रशिक्षण प्राप्त है, साथ ही संस्था का नाम, स्थान एवं अवधि भी उल्लेख किया जाए, ताकि अवशेष अभियन्ताओं को ऑन-लाइन/ऑफ लाइन प्रशिक्षण कराने हेतु कार्यवाही की जा सके। (कार्यवाही तत्काल अपेक्षित।)
(7)	iii	State Road Safety Council	The Committee is unhappy to note that the State Road Safety Council met only once in 2019 and reiterates that the Council should meet at least twice a year, with a gap of about 5-6 months. Between the two meetings; take stock of the road safety situation in the State and take necessary remedial measures wherever required. Action taken reports on the minutes of the meeting of the Council should be placed before the Council in its next meeting under intimation to the Committee.	लोडिंग/डिग से अपेक्षित नहीं।
बिन्दु (8)		Black Spots (BSs) and Vulnerable Road Segments: Identification, Finalization of required Rectification measures, Carrying out Rectification Measures and Monitoring of rectified Spots/Road Segments.	ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधार तथा किये गये अन्य कार्य जैसे- रम्बल स्ट्रीप्स, रोड मार्किंग, साईनेज, जॉश बैरियर्स, पैरापेट्स आदि का निर्माण जनपद स्तर पर, मॉनिटरिंग हेतु इंजीनियरिंग विंग की तरफ से अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सत्यापन किया जाए। सत्यापन आख्या में कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सूचना प्रेषित की जाए। तथा कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् तीन वर्षों तक स्थल की मॉनिटरिंग की जाए। यदि तीन वर्षों तक कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई, तो इसकी सूचना प्रेषित की जाए, ताकि ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थल सूची से उक्त लोकेशन का नाम हटाया जा सके। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)	



<p>बिन्दु (A)</p>	<p>v&amp;vii (b)</p>	<p>Black Spots (BSs) and Vulnerable Road Segments (other than Black Spots)</p>	<p>a) The Committee notes that, up to December, 2019 the State identified 139 Black Spots and rectified 39 of them.</p> <p>b) The Committee also notes that the State has provided two different data regarding Vulnerable Road Segments. On the one hand, it is stated in paras (v) &amp; (vii) that the State identified 1592 Vulnerable Road Segments and rectified 588 of them. On the other hand, it is stated in para (xv) that the State identified 1652 Vulnerable Road Segments and rectified 553 of them. The Committee desires that correct district wise status as on 30<sup>th</sup> September, 2020 should be intimated to the Committee.</p> <p>c) The Committee desires that the State should provide district wise break up of number of 139 Black Spots and all Vulnerable Road Segments identified on roads separately under NHAI, PWD, (NH), PWD, NHIDCL, BRO and THDC etc. And fatalities thereon year wise during 2017, 2018 and 2019.</p>	<p>जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मार्ग व दुर्घटना सम्भावित स्थलों के विन्हीकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट में यदा-कदा लोकेशन से सम्बन्धित खण्ड का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है, जैसे-लेखनि0वि0 के मार्गों के स्थल, एनएच के मार्गों पर तथा एनएच का लोकेशन एनएचएआई के मार्गों पर प्रदर्शित किये जाने के कारण राज्य स्तर की सूचनाओं के संकलन के दौरान त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई। अतः अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त खण्डों की ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थलों का वास्तविक मार्ग का नाम व श्रेणी तथा संस्थाओं के बारे में पूर्णतः आखरत होकर जनपद की आख्या संशोधित कर प्रेषित की जाए, ताकि मा0 समिति को त्रुटिरहित अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें। (इन त्रुटियों की वजह से समिति द्वारा रैप प्रकट किया गया है)</p> <p>(कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p>
<p>बिन्दु (B)</p>	<p>Xv</p>	<p>Audit of identified Black Spots &amp; Vulnerable Road Segments</p>	<p>The Committee notes that the Committee had directed the State to take rectification measures recommended in the Road Safety Audit of the identified Vulnerable Road Segments and desires that the State should take following action:</p> <p>i) Intimate whether measures on rectified Black Spots and Vulnerable Road Segments (i.e. 39 Black Spots and 588 or 553 Vulnerable Road Segments, as the case may be) were taken as per recommendations of Road Safety Audit or only Engineers Audit of the Black Spots/Road Segments.</p> <p>ii) Intimate whether road safety audit of the remaining 100 Black Spots and Vulnerable Road Segments (1004 or 1099 Segments, as the case may be) has been conducted to find out the required rectification measures.</p>	<p>a) मा0 समिति द्वारा अपेक्षा की गई है, कि अभी तक जितने भी ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर सुधारात्मक कार्य किये गये हैं, क्या किये गये सुधार, रोड सेफ्टी ऑडिटर्स के सुझावों के अनुरूप किये गये हैं, अथवा इंजीनियरिंग ऑडिट के अनुरूप ? अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वयं अध्ययन कर जनपदवार आख्या प्रेषित किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही 30 अगस्त 2020 अपेक्षित।)</p> <p>b) यदि ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित Segments पर रोड सेफ्टी ऑडिटर्स के सुझाव के अनुरूप कार्यवाही की गई है, तो ऑडिटर्स के सुझावों/निरीक्षण रिप्पनी प्रेषित किये जाए, ताकि मा0 समिति को प्रेषित किया जा सके।</p> <p>(कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p>

*(Handwritten signature)*



8 (C)	xv	Audit Roads of	<p>a) The Committee notes that the PWD has 9345 Kms of road length in different categories viz. SHs, MDRs &amp; ODRs out of which road safety audit of 2384 Kms has been completed and desires that similar information about all other road owing agencies including PWD indicating status as on 30<sup>th</sup> September, 2020 should be intimated to the Committee.</p> <p>b) Priority should be given to the Road Safety Audit of Black Spots and Vulnerable Road Segments.</p> <p>c) The Committee desires that the Audit Recommendations should be implemented on ground so as to improve the road safety situation in the State.</p>	<p>a) मा० समिति द्वारा ली०नि०वि० के अधीन NH, SH, MDR व ODR श्रेणी के मार्गों पर रोड सेफ्टी ऑडिट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जनपद स्तर पर रोड सेफ्टी ऑडिटर्स द्वारा कराये गये ऑडिट से सम्बन्धित मार्गों के नाम, श्रेणी एवं उराकी लम्बाई प्रेषित किये जाए। ऑडिट कराये गये मार्गों के सम्मुख उक्त मार्गों पर पड़ने वाले जंक्शनों, चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स आदि के लोकेशन का वर्णन किया जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p> <p>b) मा० सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना सम्भावित Road Segments स्थलों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p>
(a) (D)	v, vii(b) & xv	Review of progress in rectification of the remaining Black Spots & Vulnerable Road Segments.	<p>The Lead Agency should regularly review/monitor the progress in rectification of the remaining 100 Black Spots and 1004 or 1099 Vulnerable Road Segments (as the case may be). The status of rectification measures taken up to 30<sup>th</sup> September 2020 should be intimated to the Committee by <b>31<sup>th</sup> October, 2020</b>. The Committee desires that the status report should separately indicate the status of rectification measures taken on 275 remaining Vulnerable Road Segments on National and State Highways in six critically important districts.</p>	<p>मा० समिति के निर्देशानुसार लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटना सम्भावित स्थलों, जो Rectified कर दिये गये हैं, अथवा प्रगति पर हैं, उनका नियमित परीक्षण किया जाना है। अतः अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी अपने स्तर से सभी Rectified Black Spots &amp; Rectified Vulnerable Locations का सत्यापन कर निरीक्षण दिप्पणी प्रेषित किये जाए। किये गये सुधार कार्य में यदि कोई कमी पाई जाए, तो सुधार कर लिया जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p>



दिनांक (g) (E)	v, vii (b) & xv	Monitoring of Rectified Black (BSs) and Vulnerable Road Segments	<p>The Committee desires that the Lead Agency should monitor the 39 rectified Black Spots (BSs) and 588 or 553 rectified Vulnerable Road Segments, as the case may be, up to 31st December 2020, (presumably including 208 Vulnerable Road Segments on National and State Highways) to check the efficacy of the rectification measures taken by the concerned road owning agencies. A Monitoring Outcome Report indicating the decrease or increase, both in absolute numbers and percentage, in road accidents, grievous injuries and fatalities at these Black Spots and Vulnerable Road Segments after the date of rectification as compared to comparable period before the date of rectification should be sent to the Committee <b>by 31<sup>st</sup> March 2021</b>. A separate report in respect of rectified Black Spots and Vulnerable Road Segments on National and State Highway should also be submitted.</p>	<p>प्रत्येक विनिर्दिष्ट ब्लैक स्पॉट्स पर लगातार मॉनिटरिंग इस आशय से भी किया जाना है कि उक्त स्थल का सुधार की तिथि के पश्चात् पुनः दुर्घटनाएँ तो नहीं हुई हैं ? इसकी सूचना (Date/No. Of Injured /No. Of Death and Date of improvement) का हफ्ता प्रेषित की जाए ताकि न्याय समिति को प्रेषित की जा सके, यदि दुर्घटना नहीं हुई है, तो 'नहीं' की सूचना प्रेषित की जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित।)</p>
दिनांक (g)	vi	District Road Safety Committee (DRSCs)	<p>i) The Committee notes that except Pithoragarh all District Road Safety Committees (DRSCs) met 4 times in 2019 and reiterates that the Lead Agency should ensure that each DRSC meets at least once every quarter with a gap of about 2-3 months.</p> <p>ii) The Committee notes that the District Plans prepared by DRSCs do not indicate what they propose to do in 2020-2021 and later in future. They are largely action taken reports and not plans. The Committee reiterates that each DRSC should prepare. In consultation with stakeholder Departments, District Road Safety Action Plan for the district for the year 2020-2021 and 2021-2022 <b>by 31<sup>st</sup> August, 2020</b>. It should provide for location specific measures to be taken in 2020-2021 and 2021-2022 in the areas of enforcement, engineering and emergency care (including better management of Golden Hour).</p> <p>iii) The Committee also reiterates that the DRSCs should be made responsible for reduction of road accidents &amp; fatalities in the district (apart from implementation of the District Road Safety Action Plans and implementation of the MV Act) as directed by the Committee vide its letter dated 28.10.2019.</p> <p>iv) Lead Agency should monitor and ensure compliance.</p>	<p>i) लोडनिफि से अपेक्षित नहीं। ii) जनपद स्तर पर लोडनिफि के नोटल अधिकारी जल्दपीय रोड सेफ्टी समिति से समन्वय स्थापित करेंगे। (कार्यवाही तत्काल अपेक्षित।) iii) लोडनिफि से अपेक्षित नहीं। iv) लोडनिफि से अपेक्षित नहीं।</p>



बिन्दु (10)	vii(a)	Enforcement of traffic laws	<p>The Committee notes that the State has not yet prepared and implemented its enforcement strategy in a focused manner as directed by the Committee vide its directions dated 28.10.2019. The Committee reiterates that, in view of the fatality data of 2017 and 2018, the State should focus on over speeding, non-wearing of helmets, non-wearing of seat belts and wrong side driving by motorized two wheelers, cars &amp; taxis, buses and trucks/orries, as the case may be, on vulnerable Segments of straight and curved roads of NHs, Shs and MDRs passing through open/rural areas with special focus on Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital, Tehri and Uttarkashi in that order. The Committee also desires that the State should now send the progress report regarding over speeding non-wearing of helmets, non-wearing of seat belts and wrong side driving in the proforma enclosed (Annexure) Progress reports on implementation of the Committee's directions dated 18.08.2015 and 17.11.2015 in respect of other violations should however continue to be sent in the proforma sent earlier to the State vide Committee's letter dated 24.10.2016.</p> <p>i) The Committee also reiterates that separate targets for the city and the rural and open areas of each district should be set keeping in view the fatalities in those areas of the district.</p>	लोकनिष्ठ से अपेक्षित नहीं।
बिन्दु (11)	ix	Framing Scheme under Section 135 of M.V.Act.	<p>The Committee is unhappy to note that the State has not complied with its direction regarding framing of Scheme under Section 135 of M.V. Act and reiterates that the State should frame Scheme under Section 135 of Motor Vehicles Act, <b>by 30th September 2020</b>, to provide not only for in-depth study of causes and analysis of motor vehicle accidents but also for establishing wayside amenities on highways; establishing traffic aid posts on highways; provide truck parking complexes along highways; and for providing any other amenities in the interest of the safety and convenience of the public. If necessary, the Scheme should be framed with the assistance of reputed research institutes having domain expertise. A copy of the scheme notified by the State should be submitted to the Committee.</p>	<p>मा0 समिति द्वारा मुख्य मार्गों पर वे-साइड एमिनिटिज, ट्रक पार्किंग स्थापित किये जाने हेतु Reputed Research Institute जो expertise है, उनकी सलाह लेने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः एनएच/एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ के अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी मा0 समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। (कार्यवाही तत्काल अपेक्षित।)</p>



12	X	Procurement of equipment as per BPR&D norms	The Committee notes that the State has procured 11 interceptor vehicle and 8 cranes and is in the process of procuring 3 cranes, 5 radar guns and 100 breath analyzers. The Committee is unhappy to note that the Lead Agency has not set timelines. In consultation with the concerned Departments, for procurement of all equipments as per BPR&D recommendations and reiterates that timeline for procurement of equipments so as to reach BPR&D norms should be set under intimation to the Committee. The Lead Agency should also monitor and ensure procurement of the equipments.	लौकिकवि० से अपेक्षित नहीं।
13	Xviii	Training of personnel & maintenance of equipment	The Committee notes that the State has trained master trainers for use of interceptors, alcometers and speed radar guns and desires that the State should train adequate number of personnel in the use of these equipments and the cranes under intimation to the Committee.	लौकिकवि० से अपेक्षित नहीं।
14	Xi	Strengthening of traffic police as per BPRD norms	The Committee is disappointed to note that the State has not taken any decision on the proposal for the creation of 1759 posts for strengthening traffic police as per BPR&D norms as directed by the Committee vide its letter dated 28.10.2019 and desires that the State should fix a timeline for taking a decision in the matter under intimation to the Committee.	लौकिकवि० से अपेक्षित नहीं।
15	Vii(b)	Highway Patrol	<p>a) The Committee notes that the fatalities on Highways in the State increased from 80.99% of total fatalities in 2017 to 86.66% in 2018. It is obvious that the city Patrol units (in 4 districts) and Hill Patrol Units (in 8 districts) were not effective in reduction of road accidents and fatalities on Highways. The Committee desires that the State should immediately establish Highway Patrol in compliance of the Orders of the Hon'ble Supreme Court dated 30.11.2017.</p> <p>b) The State should submit a report on enforcement and prevention measures taken by the city/Hill Patrol Units on Black Spots and on 483 Vulnerable Road Segments on National and State Highways in six critical districts, namely, Udham Singh Nagar, Dehradun, Haridwar, Nainital, Tehri and Uttarkashi.</p>	लौकिकवि० से अपेक्षित नहीं।



16	viii	Street lights on NHs, SHs and MDRs	<p>The Committee notes that street light have been installed on completed roads under NHAI and that street lights will be installed on the remaining roads as per DPR guidelines; that work is in progress on all PWD roads; and night time partolling is being regularly being done by Traffic Police and by special teams of the Transport and Police Departments. The Committee desires that the Lead Agency should check, verify and submit a brief report on availability of street lights on the NHs and SHs specially in respect of Vulnerable Road Segments prone to causing accidents/fatalities during night time on NHs and SHs.</p>	<p>राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य मार्गों पर प्रस्तावित अथवा स्थापित स्ट्रीट लाइट्स की लोकेशन यदि है ? तो प्रेषित किये जाए, ताकि मा0 समिति को प्रेषित किया जा सके। यदि नहीं है, तो नहीं की सूचना प्रेषित की जाए।</p> <p>लॉन्गिचि के नौडल अधिकारी जनपदीय रोड सेपटी समिति की बैठक में मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के निर्देशों के सापेक्ष यह अवगत कराएँ, कि जिस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स स्थापित किये जाते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले मार्गों में ग्राम पंचायतों की सहभागिता लिया जाना आवश्यक है।</p> <p>जिन एनएच/एसएच/एनएचआई/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ पर स्ट्रीट लाइट स्थापित किये गये हैं अतः प्रस्तावित है, उनकी लोकेशन (रखल का नाम व बैनेज) का दिक्कत उपलब्ध कराया जाय, ताकि अख्या मा0 समिति को भेजी जा सके।</p> <p>(अख्या 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)</p>
17) iii		Traffic Calming Measures	<p>The Committee notes that all the junctions where lower hierachy roads join higher hierachy roads. Have been identified by all road owning agencies. The Committee directs that Lead Agency should take following action.</p> <p>i) The Committee notes that the PWD, PWD(NH) and NHAI have stated that the remaining 603,270 and 75 junctions will be rectified/improved by 2020 "as per availability of funds" and NHIDCL/BRO has stated that the "rectification work is part of DPR". The committee directs that the sstatus of work as on 30th September, 2020 should be intimated to the Committee by 31th October, 2020. Also PWD, PWD(NH), NHAI and NHIDCL/BRO should indicate a categorical timeline.</p> <p>ii) The Committee notes that the Lead Agency has completed monitoring of 35 rectified junctions and desires that the evaluation reports be shared with the Committee. The Committee also desires that the Lead Agency should continue to monitor the remaining 521 rectified junctions to check the efficacy of rectifications.</p>	<p>मार्ग पर स्थित जंक्शनों के लोकेशन एवं co-ordinates चिह्नित कर प्रेषित किये जाने के अन्तर्गत खण्डों द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।</p> <p>उपरोक्त सूचना का जनपद स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा समीक्षा कर ली जाए, कि जंक्शनों की संख्या में डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है ?</p> <p>(नोट-जनपद स्तर पर सूचना प्रेषित किया जाना है, कि लॉन्गिचि, (NH,SH,MDR व ODR, NHAI,NHIDCL,BRO) के अधीन मार्गों पर अलग-अलग कितने जंक्शन हैं?)</p> <p>(अख्या 30 अगस्त तक अपेक्षित)</p> <p>i) मा0 समिति द्वारा सभी जंक्शनों के सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। अतः तदनुसार रोड सेपटी ऑडिट में सुझावों के अनुरूप आगमन में मार्ग का नाम, लोकेशन का नाम एवं co-ordinates (Latitude/longitude) का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाए।</p> <p>ii) सुधार किये गये 35 जंक्शनों का लीड एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया गया है, तथा अन्य सुधार किये गये जंक्शनों का लीड एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया जाना है। लीड एजेन्सी द्वारा किये निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्टों की प्रति मा0 समिति द्वारा अपेक्षित है।</p> <p>अतः अधीक्षण अभियन्ता स्वयं भी अपने स्तर से सभी सुधार किये गये जंक्शनों का निरीक्षण कर ले, एवं यदि कुछ कार्य अवशेष रह गये हों, तो उन्हें पूर्ण करवाने हेतु प्रभावों कार्यवाही किये जाएं।</p>



(18)	xiii	Crash Barries on hilly roads, near water bodies and other Vulnerable locations.	<p>The Committee has following observations.</p> <p>i) The Committee has noted that crash barries were/are required at 3340.47 Km in the State; that road owing agencies had installed Crash Barries at 1311 Km. And that the road owning agencies had set a target of installing crash barriers on the remaining 2029 Km (PWD-1582.47 Km. PWD(NH)-311.7Km,NHAI-14.95 Km and BRO- 120Km) by 2020. The Committee desires that the present status of the work done by different road owning agencies should be intimated to the Committee.</p>	<p>भा0 समिति द्वारा मार्ग के दुर्घटना सम्भावित स्थलों में क्रैश बैरियर्स स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।</p> <p>अतः सभी अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ खण्डों के कुल कितने किलोमीटरों में क्रैश बैरियर्स स्थापित कर लिये गये हैं, तथा मार्ग की कुल लम्बाई के सापेक्ष कुल कितने किलोमीटरों में क्रैश बैरियर्स स्थापित कर लिये गये थे। (पूरे में स्थापित किये गये क्रैश बैरियर्स वाले किलोमीटरों को जोड़ते हुए) जनपदवार सूचना प्रेषित किया जाए।</p> <p><u>उदाहरण स्वरूप प्रारूप :-</u></p> <table> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>जनपद</th><th>मार्ग का नाम/श्रेणी</th><th>मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)</th><th>मार्ग पर कुल कितने किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने की आवश्यकता की-</th><th>टिप्पणी</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(यहाँ पर किलोमीटरों का आशय यह होता है यदि किसी किलोमीटरों में दुर्घटना सम्भावित मार्गों हेतु क्रैश बैरियर की वांछित लम्बाई 150 मी. है, और 150 मी. क्रैश बैरियर उक्त मार्गों में स्थापित कर दी गई तो वांछित क्रैश बैरियर हेतु किलोमीटर की संख्या कम हो, क्रैश बैरियर से संतृप्त मार्गों 01 कि.मी.0 माना जायेगा। (कि.मी.)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>देहरादून</td><td>रोल्लकट्टे-माकवाला-दुर्गानन्दा की बीकी। (Ch...to Ch...)</td><td>25.04</td><td>3.00</td><td> <p>कुल किलोमीटरों के सापेक्ष क्रैश बैरियर हेतु दर्शाये गये किलोमीटरों की संख्या पर्यंत मार्ग के दृष्टिकोण से अत्यन्त कम दर्शायी गई है, ऐसा प्रतीत होता है, कि मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित किलोमीटरों को गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है।</p> <p>अथवा ऐसा भी हो सकता है, कि प्रत्येक किलोमीटरों में अलग-अलग लगाये गये क्रैश बैरियर्स की संख्या को जोड़ते हुए वांछित संख्या लिख दिया गया है, यदि ऐसी गणना कर आख्या की गई है, तो तदनुसार उन्हें संशोधन किया जाए।</p> <p>यहाँ पर स्पष्ट करना है, कि भा0 सर्वोच्च न्यायालय सचिव द्वारा समिति द्वारा यह आख्या मांगी गई है, कि उत्तराखण्ड राज्य में मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तथा उसके सापेक्ष कितने किलोमीटरों को क्रैश बैरियर से संतृप्त कर दिया गया है।</p> <p>उपरोक्तानुसार अभी09/10/20 अपने अधीन खण्डों की सूचनाएं संशोधित करके हुए पुनः जनपदवार आख्या प्रेषित किये जाएं।</p> </td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट मार्ग। (Ch...to Ch...)</td><td>35.05</td><td>9.00</td><td>—तदर्थ—</td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td>कालसी-धरमपुरा मार्ग। (Ch...to Ch...)</td><td>40.00</td><td>3.00</td><td>—तदर्थ—</td></tr> </table>	क्र.सं.	जनपद	मार्ग का नाम/श्रेणी	मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	मार्ग पर कुल कितने किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने की आवश्यकता की-	टिप्पणी			(यहाँ पर किलोमीटरों का आशय यह होता है यदि किसी किलोमीटरों में दुर्घटना सम्भावित मार्गों हेतु क्रैश बैरियर की वांछित लम्बाई 150 मी. है, और 150 मी. क्रैश बैरियर उक्त मार्गों में स्थापित कर दी गई तो वांछित क्रैश बैरियर हेतु किलोमीटर की संख्या कम हो, क्रैश बैरियर से संतृप्त मार्गों 01 कि.मी.0 माना जायेगा। (कि.मी.)				1	देहरादून	रोल्लकट्टे-माकवाला-दुर्गानन्दा की बीकी। (Ch...to Ch...)	25.04	3.00	<p>कुल किलोमीटरों के सापेक्ष क्रैश बैरियर हेतु दर्शाये गये किलोमीटरों की संख्या पर्यंत मार्ग के दृष्टिकोण से अत्यन्त कम दर्शायी गई है, ऐसा प्रतीत होता है, कि मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित किलोमीटरों को गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है।</p> <p>अथवा ऐसा भी हो सकता है, कि प्रत्येक किलोमीटरों में अलग-अलग लगाये गये क्रैश बैरियर्स की संख्या को जोड़ते हुए वांछित संख्या लिख दिया गया है, यदि ऐसी गणना कर आख्या की गई है, तो तदनुसार उन्हें संशोधन किया जाए।</p> <p>यहाँ पर स्पष्ट करना है, कि भा0 सर्वोच्च न्यायालय सचिव द्वारा समिति द्वारा यह आख्या मांगी गई है, कि उत्तराखण्ड राज्य में मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तथा उसके सापेक्ष कितने किलोमीटरों को क्रैश बैरियर से संतृप्त कर दिया गया है।</p> <p>उपरोक्तानुसार अभी09/10/20 अपने अधीन खण्डों की सूचनाएं संशोधित करके हुए पुनः जनपदवार आख्या प्रेषित किये जाएं।</p>	2		शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट मार्ग। (Ch...to Ch...)	35.05	9.00	—तदर्थ—	3		कालसी-धरमपुरा मार्ग। (Ch...to Ch...)	40.00	3.00	—तदर्थ—
क्र.सं.	जनपद	मार्ग का नाम/श्रेणी	मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	मार्ग पर कुल कितने किलोमीटरों में क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने की आवश्यकता की-	टिप्पणी																													
		(यहाँ पर किलोमीटरों का आशय यह होता है यदि किसी किलोमीटरों में दुर्घटना सम्भावित मार्गों हेतु क्रैश बैरियर की वांछित लम्बाई 150 मी. है, और 150 मी. क्रैश बैरियर उक्त मार्गों में स्थापित कर दी गई तो वांछित क्रैश बैरियर हेतु किलोमीटर की संख्या कम हो, क्रैश बैरियर से संतृप्त मार्गों 01 कि.मी.0 माना जायेगा। (कि.मी.)																																
1	देहरादून	रोल्लकट्टे-माकवाला-दुर्गानन्दा की बीकी। (Ch...to Ch...)	25.04	3.00	<p>कुल किलोमीटरों के सापेक्ष क्रैश बैरियर हेतु दर्शाये गये किलोमीटरों की संख्या पर्यंत मार्ग के दृष्टिकोण से अत्यन्त कम दर्शायी गई है, ऐसा प्रतीत होता है, कि मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित किलोमीटरों को गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है।</p> <p>अथवा ऐसा भी हो सकता है, कि प्रत्येक किलोमीटरों में अलग-अलग लगाये गये क्रैश बैरियर्स की संख्या को जोड़ते हुए वांछित संख्या लिख दिया गया है, यदि ऐसी गणना कर आख्या की गई है, तो तदनुसार उन्हें संशोधन किया जाए।</p> <p>यहाँ पर स्पष्ट करना है, कि भा0 सर्वोच्च न्यायालय सचिव द्वारा समिति द्वारा यह आख्या मांगी गई है, कि उत्तराखण्ड राज्य में मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तथा उसके सापेक्ष कितने किलोमीटरों को क्रैश बैरियर से संतृप्त कर दिया गया है।</p> <p>उपरोक्तानुसार अभी09/10/20 अपने अधीन खण्डों की सूचनाएं संशोधित करके हुए पुनः जनपदवार आख्या प्रेषित किये जाएं।</p>																													
2		शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट मार्ग। (Ch...to Ch...)	35.05	9.00	—तदर्थ—																													
3		कालसी-धरमपुरा मार्ग। (Ch...to Ch...)	40.00	3.00	—तदर्थ—																													



(ii,iii)

ii) PWD(NH), NHAI and BRO have stated that the identification work has been done "as per DPR". It is not clear whether DPR in respect of PWD(NH), NHAI and BRO covers the remaining 311.7Km, 14.95 Km and 120 Km respectively. The Committee desires that the concerned District Road Safety Committees should be involved in monitoring the work being done by PWD(NH), NHAI and BRO to ensure that work is actually done as per local requirements.

iii) The Committee has noted that the Engineer in Chief (PWD) has stated that "all crash barriers as being installed and maintained as per IRC norms". The Committee presumes that the crash barriers on 1311.53 Km were constructed and have been maintained as per IRC norms. The State is required to confirm the same.

4	रावली-पुरोला-नीगांव मार्ग।	20.00	6.00	—तदैव—
5	पकसाला-लखानगढ़ल मंड मार्ग।	65.55	3.00	—तदैव—
6	पुरोही-रावना-हामटा मार्ग।	37.05	4.00	—तदैव—

नोट :- उपरोक्त उदाहरण के अनुसार रोड मार्किंग तथा साईनेज की भी जनपदवार आख्या संशोधित कर प्रेषित की जाए।  
(कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)

ii) माड समिति द्वारा जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति से भी मार्ग पर स्थापित सेपटी मैजर्स की मॉनिटरिंग किये जाने की अपेक्षा की गई।

अतः जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।  
(कार्यवाही तत्काल अपेक्षित)

iii) सभी निर्माणदायी संस्थायें इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगी कि मार्गों पर स्थापित क्रैश बैरियर्स आईआरसी मानकों के अनुरूप ही स्थापित किये गये हैं। सूचना माड समिति को प्रेषित किया जाना है।  
(कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)

बिन्दु (19)	xiv	Maintenance of bridges	<p>a) The Committee notes that the State has 1331 bridges [PWD-923,PWD(NH)-227,NHAI-107, NHIDCL-30 and BRO-44] and that all bridge are safe and have been maintained as per IRC norms except the following.</p> <p>i) Few bridge under PWD require minor repair works which are in progress.</p> <p>ii) One bridge under PWD(NH)requires rectification work for which DPR is under preparation.</p> <p>iii) NHIDCL does not appear to have sent any information regarding number of bridges under it or those required to be replaced or repaired.</p> <p>b) The Committee was informed earlier that work was in progress on 41 (out of 107) bridge under NHAI and desires that the Lead Agency should confirm that the work on these 41 bridges has been completed.</p> <p>c) The Committee desires that the Lead Agency should draw timeline in consultation with PWD and PWD(NH) for repairs/rectification of the concerned bridges. Also, categorical information about the number of NHIDCL bridge, and number of bridges under it required to be replced or repaired should be sent to the Committee.</p> <p>d) The Committee reiterates that the Lead Agency should ensure that, these road owning agencies prepare and implement traffic management plan for all bridges which are under repair/rectification.</p>	<p>a) अधीक्षण अभियन्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र देगे कि मार्गों पर स्थापित सेतुओं का रख-रखाव आईआरसी मानकों के अनुरूप किया गया है. (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित) निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार-</p> <p>i) <b>PWD-</b> लो0नि0वि0 कुछ सेतुओं में Minor Repair की मरम्मत की प्रगति से अवगत कराया गया था, उनकी अद्यतन स्थिति अथवा लक्ष्य से अवगत कराया जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)</p> <p>ii) <b>NH (PWD)-एनएच</b> (लो0नि0वि0) के अधीन एक सेतु सुधारालोक होने के कारण DPR under preparation से अवगत कराया गया था, अद्यतन स्थिति अथवा लक्ष्य से अवगत कराया जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)</p> <p>iii) <b>NHIDCL/NHAI/BRO-</b>लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।</p> <p>b) <b>NHAI-</b>लो0नि0वि0 से अपेक्षित नहीं है।</p> <p><b>C)NH/PWD/NHAI/NHIDCL/BRO-</b> लो0नि0वि0 के अन्तर्गत सेतुओं का सुधार निर्माण अथवा मरम्मत का टाईम-लाईन का निर्धारण कर प्रेषित किये जाए। (कार्यवाही 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)</p> <p>d) <b>NH/PWD/NHAI/NHIDCL/BRO</b> के अन्तर्गत सेतुओं का निरीक्षण निम्न के सापेक्ष किया जाना है :- वैसे समस्त सेतुएं जिनका मरम्मत व सुधार/निर्माण किया जा रहा है, वहाँ Traffic Management Plan तैयार किया गया है, एवं उनका अनुपालन किया जा रहा है, आख्या प्रेषित की जाए। (सूचना पूर्व प्रेषित प्रारूप पर 30 अगस्त 2020 तक अपेक्षित)</p>
-------------	-----	------------------------	--	--




बिन्दु (20)	xvi	Over-loading of school buses	The Committee notes that the State is complying with the Committee's directions regarding school buses/vans etc; and that 3056 vehicle were challaned in 2019 for different offences related with school bus norms. The Committee desire that the State should continue to implement the provision of MV Act vigorously to school buses/vans and other vehicle engaged in transporting school children.	लोगिनिविड से अपेक्षित नहीं।
बिन्दु (21)	xix	Driving of motorized vehicle by the under-age	The Committee desires that the State should implements the provisions of MV Act vigorously in cases of underage driving.	लोगिनिविड से अपेक्षित नहीं।
बिन्दु (22)	xx&xxi	Ambulance with equipments and trained paramedics & Mapping of Ambulances	The Committee presumes that the direction of the Committee in the regard have not been complied with and reiterates that the 135 government ambulance also should be integrated with 108 (in addition to 139 private) ambulance already integrated with 108). All ambulances, both government and private, should have a trained paramedic and necessary wquipments; that the State should map all ambulances, the Trauma Care Centers and other hospitals lacated in proximity to NHs and SHs and that Lead Agency should assess adequacy of ambulances students prsently available with the State under intimation to the Committee.	लोगिनिविड से अपेक्षित नहीं।
बिन्दु (23)	xxii	Trauma Care Centers	The Committee notes that the Dehradun has three Trauma Care Centers (of which two are Level III and one is without categorization), that Udham Singh Nagar, Haridwar and Uttarkashi have one Trauma Care Center each of Level III; and that Naintal and Tehri have one Trauma Care Center each without categorization. The Committee directs that the State should take following action under intimated to the Committee. a) Confirm that these Centers have been officially designated as Trauma Care Centers for all road accident victims in the respective districts; b) Prepare a scheme for free treatment of all those road accident victims in the designated Trauma Care Center who wish to avail free treatment; c) Fix a timeframe for up-gradation of each of these Trauma Care Center to the next level intimated to the Committee.	लोगिनिविड से अपेक्षित नहीं।



विन्दु (24)	xxii	Publishing of Annual Accident Data	The State has not yet published the booklet on Road Accidents in Uttarakhand-2018. The Committee desires that the analysis report and the road accident and fatality data for 2018 should be published in a book form and a copy there of should be sent to the Committee.	ल०नि०वि० से अपेक्षित नहीं।
विन्दु (25)		Status of implementation of the motor vehicles (Amendment) Act, 2019	The Committee desires that the State should send a note on status of implementation of the Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019.	ल०नि०वि० से अपेक्षित नहीं।
विन्दु (26)		Place direction of the Committee and action taken report before the State Road Safety Council	The Lead Agency should place all the above directions issued by the Committee before the State Road Safety Council in its next meeting together with action taken report on the Committee's directions.	ल०नि०वि० से अपेक्षित नहीं।

अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर जनपदवार सूचनाओं का संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाए।


संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
 (ई० हस्तीम शर्मा)  
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रतिलिपि-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, ल०नि०वि० देहरादून।
- 4- मुख्य अभियन्ता, ल०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 5- मुख्य अभियन्ता, रा०र०मा०, ल०नि०वि०, देहरादून।
- 6- मुख्य अभियन्ता, ए०डी०बी०, देहरादून।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, रोड सेफ्टी, 10 वां वृत्त, ल०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- समस्त अधिसूचनी अभियन्ता, ल०नि०वि०/रा०मा०, ल०नि०वि० को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, ल०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को [pwd.uk.gov.in](http://pwd.uk.gov.in) की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

  
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।